सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 601 राँची, सोमवार, 6 भाद्र, 1938 (श०)

28 अगस्त, 2017 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

17 अगस्त, 2017

विषयः सिंगल विण्डो पोर्टल पर एकीकृत आवेदन प्रपत्र में सभी प्रकार के शुल्क के भुगतान हेतु एकीकृत शीर्ष के लिए राजस्व प्राप्तिया के तहत नया शीर्ष खोलने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- सि०वि०सि०/CIP/41-2017- 2312-- झारखण्ड राज्य के समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास, राज्य में पूंजीनिवेश को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लियरेंस अधिनियम-2015 लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से औद्योगिक प्रस्तावों को सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत मंजूरी प्रदान किया जाना है ।

2. उद्यमियों/व्यापारियों को उद्योग स्थापना एवं राज्य में व्यापार करने हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में अनेक षुल्कों के भुगतान की प्रक्रिया में कठिनाईयों के साथ-साथ काफी समय भी लगता है जिससे राज्य का विकास प्रभावित होता है ।

3. झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लियरेंस अधिनियम-2015 की कंडिका 19 में निहित व्यवस्था के सुचारु रुप से कार्य करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए संबंधित विभागों द्वारा लिये जानेवाले विभिन्न शुल्कों के स्थान पर एकीकृत शुल्क सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जाना है ।

4. ऑनलाइन शुल्क प्राप्ति के उपरान्त विभागों से संबंधित शुल्क e-Grass के माध्यम से विभागों के लिए शीर्ष-मुख्यशीर्ष-0875-अन्य उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-02-अन्य उद्योग-लघु शीर्ष-501-सेवाएँ तथा सेवा शुल्क- उपशीर्ष-01-सिंगल विण्डो-विस्तृत शीर्ष-01-प्राप्तियाँ-प्राथमिक इकाई- 01-प्राप्तियाँ **(Major Head – 0875 - Other Industries - Sub Major Head – 02 - Other Industries - Minor Head – 501 - Services & Service Fee - Sub Head – 01 - Single Window - Detail Head – 01 –Receipts - Primary Unit – 01 - Receipt)** में जमा किए जाने एवं स्थानीय निकाय तथा एजेन्सी/निगम/प्राधिकार से संबंधित शुल्क ऑनलाइन उनके बैंक खाते में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

5. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की 11 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक में मद् संख्या 05 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 601--50